दूरभाष:26175246 संख्या- 3/8/2016/उ.नि.(मध्योत्तर)/5051-5901
फैक्स: 26191572

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग
MINISTRY OF HOME AFFAIRS, DEPTT.OF OFFICIAL LANGUAGE
हिंदी शिक्षण योजना
HINDI TEACHING SCHEME
उप निदेशक (मध्योत्तर) का कार्यालय
OFFICE OF THE DEPUTY DIRECTOR(NORTH CENTRAL)

पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम,
नई दिल्ली-110066
East Block-7, Level-6, R.K.Puram,
New Delhi-110066
दिनांक / Date: 07/11/2016

सेवा में

संपर्क अधिकारी (हिंदी)
कार्यालय प्रमुख/प्रशासनिक अधिकारी/हिंदी अधिकारी(राजभाषा)
भारत सरकार के मंत्रालय/विभाग/राष्ट्रीयकृत बैंक/उपक्रम/निगम/निकाय आदि,
दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली।

विषय :- हिंदी शिक्षण योजना के अधीन जनवरी-मई, 2017 सत्र की हिंदी प्रबोध, प्रवीण प्राज्ञ एवं पारंगत दीर्घकालिक कक्षाओं का गठन एवं संचालन।

महोदय/महोदया,

हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ तथा पारंगत कक्षाओं के प्रशिक्षण का नया सत्र सोमवार **02 जनवरी, 2017 पूर्वाह्न 10.00 बजे** से प्रारम्भ होगा । कृपया अपने कार्यालय से हिंदी प्रशिक्षण के लिए नामित किए जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची पत्र के संलग्न नामांकन प्रपत्र में तैयार करके दो प्रतियों में इस कार्यालय में **15 दिसंबर, 2016** तक अवश्य भिजवाने का कष्ट करें ।

हिंदी प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत के प्रशिक्षार्थियों के लिए योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नलिखित विवरण के अनुसार किया जाए :-

...../2-

प्रशिक्षण की संक्षिप्त जानकारी

उद्देश्य	पाठ्यक्रम का नाम	पात्रता	अवधि एवं परीक्षा	प्रोत्साहन
1	2	3	4	5
ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों निगमों,निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों / कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।	प्रबोध	यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो, भाषा-भाषी अधिकारी/कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं । वे सभी अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें प्राइमरी स्तर का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं ।	पाठ्यक्रम की अवधि 5 महीने एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 1.25 घंटा (02 जनवरी, 2017 से मई, 2017 तक)	जो अधिकारी/ कर्मचारी इस परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वे कार्यालय ज्ञापन सं0 21034/66/2011/ 2010-राभा (प्रशिक्षण)दिनांक 29.07.2011 के अनुसार नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे । इस पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
	प्रवीण	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है । इसमें प्रबोध परीक्षा में उत्तीर्ण अधिकारी/कर्मचारी नामित होंगे । मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी/कर्मचारी, जिन्हें मिडिल स्तर तक की हिंदी का ज्ञान नहीं है, इसमें सीधे प्रवेश ले सकते हैं ।	-वही-	
	प्राज्ञ	इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण तथा अन्य हिंदीतर भाषा-भाषी कार्मिकों जिनकी मातृभाषा पंजाबी, उर्दू, कश्मीरी तथा पश्तो है और जिन्हें मैट्रिक स्तर की हिंदी का ज्ञान नहीं है, प्रशिक्षण हेतु पात्र है।	5 महीने एकांतर दिवस 2 घंटे या प्रतिदिन 1 घंटा (02 जनवरी, 2017 से मई, 2017 तक)	
	पारंगत	केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा उनके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, केंद्र सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों / उद्यमों/अभिकरणों / निगम तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के हिंदी में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी कार्मिक प्रशिक्षण हेतु पात्र हैं ।	-वही-	

नोट:-

- **जिन अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय में कोई सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती(जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर,रिकार्ड सॉर्टर, इलैक्ट्रिशियन, फिटर, गेस्टेटनर ऑपरेटर, डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण अनिवार्य है ।**
- **जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यत : स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती,परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक, वर्कशाप तथा नर्स प्रयोगशालाओं के पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए प्रवीण प्रशिक्षण अनिवार्य है।**
- **जिन अधिकारियों कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यावहार करना पड़ता है,उनके लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है ।**
- **जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है वे पारंगत पाठ्यक्रम के लिए पात्र है।**

राजभाषा विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 14034/30/2009-रा.भा.-(प्र.) दिनांक 06 जनवरी, 2010 में छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वर्ग "घ" के कार्मिकों को वर्ग "ग" में शामिल कर लिया गया है, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति जी के अप्रैल, 1960 के आदेशानुसार वर्ग "ग" के कार्मिकों को हिंदी भाषा/हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाना अनिवार्य है । अतः वर्ग "घ" से वर्ग "ग" में आए उन कार्मिकों के लिए जो वर्ग "ग" श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं उनको पात्रतानुसार हिंदी प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ की कक्षाओं के लिए नामित करने का कष्ट करें ताकि उनको भी प्रशिक्षण दिया जा सके ।

2. परीक्षा

- इन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं मई, 2017 में आयोजित की जाएंगी ।
- परीक्षा के लिए विधिवत् भरे आवेदन पत्र दिनांक 15.02.2017 तक उप निदेशक(मध्योत्तर) के कार्यालय में पहुँच जाने चाहिए ।

3. परीक्षा शुल्क

- केंद्र सरकार के उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के नियमित एवं प्राइवेट कर्मचारियों के लिए हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा के लिए रु.100/- प्रति प्रशिक्षार्थी परीक्षा शुल्क देय है। परीक्षा फार्म के साथ रु.100/- परीक्षा शुल्क का बैंक ड्राफ्ट/ऑन लाइन उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली के नाम भिजवाना सुनिश्चित करें ।
- **पारंगत परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं है ।**

4. परीक्षा संबंधी नियम

- प्राइवेट रूप से परीक्षा में बैठने वाले प्रशिक्षार्थियों को विधिवत निर्धारित प्रपत्र में परीक्षा फार्म द्विभाषी रूप में भरना है ।
- परीक्षा फार्म, नॉमिनल रोल सहित द्विभाषी रूप में भरकर(दो प्रतियों में) उपनिदेशक(मध्योत्तर) के कार्यालय में 15.02.2017 तक भिजवाएं ।

...../4-

5. **पाठ्यपुस्तकें**

- सभी प्रशिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकें हिंदी शिक्षण योजना द्वारा निःशुल्क प्रदान की जाती हैं।

6. **वित्तीय प्रोत्साहन**

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करने और हिंदी की निर्धारित अंतिम परीक्षा पास करने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 12 महीनों की अवधि के लिए एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन प्रदान किया जाता है ।

- प्रशिक्षण कक्षा में जाने के लिए 1.6 कि.मी. से अधिक दूरी से आने-जाने का वास्तविक मार्ग व्यय देय है ।

- हिंदी प्रबोध, प्रवीण एवं प्राज्ञ की परीक्षा पास करने और निर्धारित शर्तें पूरी करने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिनका भुगतान संबंधित कार्यालयों द्वारा ही किया जाता है ।

(कार्यालय ज्ञापन सं.-212820/66-रा.भा.(प्रशिक्षण)दिनांक 29 जुलाई, 2011 देखें)

क्रमांक	पाठ्यक्रम	अंकों का प्रतिशत		
		55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	70 प्रतिशत
1.	प्रबोध	रू.400	रू. 800	रु.1600
2.	प्रवीण	रू.600	रू.1200	रू.1800
3.	प्राज्ञ	रू.800	रू.1600	रू.2400

7. **कक्षाओं में उपस्थिति**

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 19.02.1976 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12014/1/74-हिंदी/1/ तथा दिनांक 11 मार्च, 1985 के कार्यालय ज्ञापन संख्या-12044/1/74-रा.भा.(घ) के अनुसार हिंदी कक्षाओं के लिए नामित अधिकारियों / कर्मचारियों का नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित होना तथा सत्र के अंत में परीक्षा में बैठना अनिवार्य है ।
- कक्षा में उपस्थिति, लेखन तथा वाचन के आधार पर हर माह आंतरिक मूल्यांकन के अंक केंद्र के प्राध्यापक/प्रभारी द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें उत्तीर्ण होने पर ही प्रशिक्षार्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है, अन्यथा नहीं ।

8. **नई कक्षा खोलना**

- यदि कोई कार्यालय अपने कार्यालय परिसर में हिंदी प्रशिक्षण केंद्र खोलने का इच्छुक है तो वह सुनिश्चित करे कि जो भी कक्षा(प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ एवं पारंगत) चलानी है उसके लिए कम से कम 10 से 15 प्रशिक्षार्थियों की संख्या उपलब्ध हो । इसके लिए उचित प्रस्ताव इस कार्यालय में दिनांक **15-12-2016** तक भेजने का कष्ट करें ताकि समय पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके ।

9. **विशेष**

- सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, बैंकों, निगमों आदि के प्रशासनिक प्रमुखों से अनुरोध है कि वे भाषा प्रशिक्षण के लिए शेष कर्मियों को नामित करने का कष्ट करें।

- यह भी सुनिश्चित करें कि सभी नामित प्रशिक्षार्थी, कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें तथा परीक्षाओं के फार्म भरने के साथ-साथ परीक्षा में अवश्य बैठें।

- सभी मंत्रालयों आदि से अनुरोध है कि वे कक्षाओं के गठन का यह पत्र अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में भी अनिवार्य रूप से परिचालित करवाना सुनिश्चित करें।

- सुलभ संदर्भ के लिए अंशकालिक केंद्रों एवं नियमित प्रशिक्षण केंद्रों की सूची इसके साथ संलग्न है।

- कक्षाओं के गठन के संबंध में जारी किए गए निदेश राजधानी क्षेत्र और उसके आस-पास के शहरों यथा फरीदाबाद, गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद इत्यादि पर भी लागू होंगे ।

- सभी कार्यालयों/विभागों के विभागाध्यक्षों से यह अनुरोध है कि सत्र जनवरी-मई, 2017 के लिए अपने कार्यालयों से उपर्युक्त भाषा प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक अधिकारियों/कर्मचारियों को नामित करने का कष्ट करें जिससे राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को सन् 2025 तक प्राप्त किया जा सके । राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सक्रिय सहयोग सराहनीय होगा।

<u>संपर्क सूत्र</u>

श्री भूपिन्दर सिंह **उप निदेशक** **मो.- 9968234068** **ई.मेल-chti1107@nic.**	**श्री वासुदेव सिंह** **सहायक निदेशक** **मो0- 9013496567** **फोन : 26173775** **ई.मेल-chti1124@nic.in**
कार्यालय का पूरा पता : **उपनिदेशक(मध्योत्तर)** **हिंदी शिक्षण योजना** **पूर्वी खंड-7, लेवल-6,** **आर.के.पुरम,** **नई दिल्ली-110066** **दूरभाष : 26175246, 26191572**	**श्री जितेन्द्र कुमार सिंह** **सहायक निदेशक** **मो. 9560213089** **फोन : 26176055** **ई.मेल-chti1148@nic.in**

हिंदी प्राध्यापक	**मोबाइल नम्बर**	**ई.मेल**
1. श्रीमती समीर त्रिखा	09729177268	ई.मेल-chti1156@nic.in
2. सुश्री कृष्णा देवी	9871608537	ई.मेल-chti1184@nic.in
3. श्री राजकुमार	9582854331	ई.मेल-chti1232@nic.in
4 .श्रीमती नीपा शर्मा	9899989821	ई.मेल-chti1227@nic.in
5. श्री आशाराम	9213107791	ई.मेल-chti1256@nic.in

6. श्री राजकुमार बाल्मिकी	9971953257	ई.मेल-chti1260@nic.in
7. श्रीमती सीमा रानी	9990197892	ई.मेल-chti1267@nic.in
8. श्रीमती प्रीति सिंह(चंडीगढ़)	09417166338	ई.मेल-chti1170@nic.in
9.डॉ0 रामेश्वर लाल मीणा(जम्मू)	09018451848	ई.मेल- chti1272@nic.in
10.श्री राजेश कुमार मीना(जयपुर)	9460474143	ई.मेल-chti1177@nic.in

सभी विभागाध्यक्षों/संपर्क अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय का पूरा पता पिन कोड सहित भेजें तथा दूरभाष एवं फैक्स नंबर भी भिजवाएं । यदि ई मेल का पता भी दे सकें तो हमें पत्राचार में बहुत सुविधा होगी ।

नए पाठ्यक्रम "पारंगत" को लागू किए जाने के संबंध में जारी किए गए आदेशों के लिए कृपया राजभाषा विभाग की वेबसाइट www.rajbhasha.gov.in को देखने का कष्ट करें ।

भवदीय,

31/10/16

(भूपिन्दर सिंह)

उप निदेशक(मध्योत्तर)

chti-1107

पृष्ठांकन सं. 3/8/2016-उ.नि.(मध्योत्तर) दिनांक :

प्रतिलिपि :-

1. निदेशक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली ।
2. संयुक्त निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली ।
3. उप निदेशक(कार्यान्वयन), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली ।
4. सभी सहायक निदेशक/हिंदी प्राध्यापक(मध्योत्तर), हिंदी शिक्षण योजना/केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली ।
5. उप निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) 2- ए, पृथ्वीराज रोड, नई दिल्ली ।
6. उप निदेशक (टंकण/ आशुलिपि) आर. के. पुरम, नई दिल्ली ।
7. सर्वकार्यभारी अधिकारी, जम्मू, चण्डीगढ़ तथा जयपुर ।
8. सहायक निदेशक (टंकण/आशु0), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली

31/10/16

(भूपिन्दर सिंह)
उप निदेशक(मध्योत्तर)
chti1107

उपनिदेशक(मध्योत्तर) के अंतर्गत वर्तमान में संचालित हिंदी प्रशिक्षण केंद्रों के पते

(सत्र जनवरी-मई, 2017)

क्र.सं.	प्रशिक्षण केंद्र	दूरभाष
1.	सीमा सड़क भवन, नारायणा, रिंग रोड, नई दिल्ली	011-25687114
2.	केंद्रीय जल आयोग, पश्चिमी खंड-1, प्रथम तल, विंग-4, आर के पुरम, नई दिल्ली-66	
3.	संघ लोक सेवा आयोग, जामनगर हाउस, शाहजहां रोड, नई दिल्ली	011-23098591/4558
4.	वायु सेना अभिलेख कार्यालय, सुब्रोतो पार्क, नई दिल्ली	011-25697551/7529
5.	तिहाड़ जेल परिसर, तिहाड़ जेल, लाजवन्ती गार्डन,नई दिल्ली	011-25615203
6.	डी.एम.एस., शादीपुर डिपो, नई दिल्ली	011-25860820/228
7.	वायुसेना स्टेशन, तुगलकाबाद, नई दिल्ली	
8.	सशस्त्र सीमा बल, 25वीं बटालियन, घिटोरनी, नई दिल्ली	
9.	सी आर पी एफ, झड़ौदा कलां, नई दिल्ली	
10.	पुलिस प्रशिक्षण कालेज, झड़ौदा कलां, नई दिल्ली	
11.	भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वैशाली, गाज़ियाबाद	0120-2894376
12.	इग्नू, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली	
13.	लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, नई दिल्ली	011-23456396
14.	जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	011-26704023
15.	इंडियन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, स्कोप भवन, नई दिल्ली	011-24361666
16.	रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन मेटकाफ भवन, दिल्ली-54	
17.	पुलिस प्रशिक्षण स्कूल , द्वारका सैक्टर -9 , नई दिल्ली	
18.	हिंदी शिक्षण योजना कार्यालय, सेक्टर-6, गंग्याल, जम्मू	09018451848
19.	राष्ट्रीय तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान, महालेखाकार का कार्यालय, सेक्टर-17, चण्डीगढ़	0172-2607420
20.	केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 12 विंग, वायुसेना हवाई अड्डा, चण्डीगढ़	
21.	आई टी बी पी, भानु चण्डीगढ़	
22.	सी आर पी एफ, लालवास, जयपुर	0141-238543139
23	सीमा सुरक्षा बल, लबाना कैंप, जयपुर	
24	सी आई एस एफ, आमेर, जयपुर	

नामांकन प्रपत्र

क्र.सं.	नामित अधिकारी / कर्मचारियों का नाम	पदनाम	मातृभाषा	पाठ्यक्रम जिसके लिए नामित है	सुविधाजनक प्रशिक्षण केंद्र	कार्यालय का पता व फोन नंबर	कर्मचारियों की कुल संख्या

स्थान:
दिनांक

हस्ताक्षर ....
नामित करने वाले अधिकारी..................................
(मोहर सहित)
अधिकारी का नाम और कार्यालय का पूरा पता टेलीफोन नम्बर सहित...........................
ई मेल